

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./CTAD/275(1)बजट घोषणा/ईएमआरएस क्षमता वृद्धि/2020-21/

दि. : 24/10/22

25583-95

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
डूंगरपुर ।

विषय : एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) पारडा चुण्डावत पं.सं. साबला में विभिन्न निर्माण कार्यो की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना का पत्रांक 1518 दिनांक 05.10.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक पत्रांक 13179-90 दिनांक 26.09.2020 द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालिका पारडा चुण्डावत पं.सं. साबला जिला डूंगरपुर में क्षमता वृद्धि एवं सुविधा विकास कार्य हेतु राशि रूपये 342.48 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी एवं कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को नियुक्त किया गया। प्रथम किस्त राशि रूपये 171.24 लाख हस्तांतरित किये गये। स्वच्छ परियोजना द्वारा संशोधित तकमीना प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत 24 डोरमेट्री एवं डायनिंग हॉल का निर्माण पुराने निर्मित छात्रावास भवन पर प्रस्तावित किया गया था लेकिन पुराने भवन के असुरक्षित होने से नवीन भूमि पर निर्माण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त सीडी वर्क का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त कारणो से एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) पारडा चुण्डावत पं.सं. साबला में 24 डोरमेट्री, डायनिंग हॉल, गार्ड रूम, खेल मैदान पर ट्रेक निर्माण, खेल मैदान में रिटेनिंग वॉल, आन्तरिक पाथ-वे, ओवर हेड रिजरवायर (ओएचएसआर), टयुबवेल मय वितरण पाईप, सीडी वर्क मय विंग वॉल, सीसीटीवी, सौलर लाईट, आरओ एवं इन्वर्टर आदि निर्माण हेतु स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से संशोधित तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रु. 494.45 लाख की प्राप्त हुई। एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) पारडा चुण्डावत पं.सं. साबला में प्रस्तावित निर्माण एवं सुविधाओं के विकास का विवरण निम्नानुसार है:-

Amount Rs in lacs

S.No.	Name of Work	Amount
1	Part (A) - Construction of 24 No. Dormatory at ground, first & second floor	289.32
2	Part (B) - Construction of Dining Hall at ground floor	92.25
3	Part (C) - Construction of guard room	4.73
4	Part (D) - Construction of Overhead Reservoir (OHR)	10.68
5	Part (E) - Construction of Tubewell with G.I. distribution pipe	7.09
6	Part (F) - Construction of CD Works with wing wall	6.79
7	Part (G) - Construction of Internal Pathway	15.16
8	Part (H) - Construction of Running Track at Sports ground	2.70
9	Part (I) - Development of Sports ground with Retaining Wall	8.64
10	Part (J) - CCTV, Solar Light, Inverter & R.O.	5.49
	Total Estimate Coast	442.85
	Add 1.5% Contingency Charges	6.64
	Sub Total	449.50
	Add 10 % Establishment Charges	44.95
	Grand Total	494.45

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित राशि में से निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाएंगे:-

क्र. सं.	तल	विवरण	मात्रा
A	भू-तल	8 डोरमेट्री 6 बेडेड	01
		डायनिंग हॉल	01
		टॉयलेट ब्लॉक (6 W.C., 6 Bath& Wash Area)	02
		इलेक्ट्रीक रूम	01
		ट्रेक निर्माण, आन्तरिक पाथ वे, गार्ड रूम, अन्य सुविधा- सीसीटीवी, सौर लाईट, आरओ, इन्वर्टर	
B	प्रथम तल	8 डोरमेट्री 6 बेडेड	01
		टॉयलेट ब्लॉक (6 W.C., 6 Bath& Wash Area)	02
		इलेक्ट्रीक रूम	01
		वेटिंग रूम	01
C	द्वितीय तल	8 डोरमेट्री 6 बेडेड	01
		टॉयलेट ब्लॉक (6 W.C., 6 Bath& Wash Area)	02
		इलेक्ट्रीक रूम	01
		वेटिंग रूम	01

स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रु. 494.45 लाख की प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-3 में वर्णित कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति अनुसार कॉलम संख्या-5 में वर्णित राशि की निम्नानुसार शर्तों के अधीन संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है।


(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	स्थान	तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5
1	डुंगरपुर	एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालिका पारडा चुण्डावत पं.स. साबला जिला डुंगरपुर में 24 डोरमेट्री, डायनिंग हॉल, गार्ड रूम, खेल मेदान पर ट्रेक निर्माण, खेल मेदान में रिटेनिंग वॉल, आन्तरिक पाथ-वे, ओवर हेड रिजरवायर (ओएचआर), टयुबवेल मय वितरण पाईप, सीडी वर्क मय विंग वॉल, सीसीटीवी, सौर लाईट, आरओ एवं इन्वर्टर आदि का निर्माण	P.O./Swach Dungarpur/Technical/ 2020-21/321- 24/22.09.2020	494.45

शर्तें-

- यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही ड्राईंग, तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से बनाया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।

5. स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति एवं पूर्ण होने के फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
8. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कसना सुनिश्चित करावे।


 (जितेन्द्र कुमार उपाध्याय), I.A.S.
 आयुक्त

क्रमांक यथोपरि / 25583-95
 प्रतिलिपि-

दिनांक : 24/10/20

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर झुंजरपुर।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, बड़ी रोड उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा
6. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, झुंजरपुर।
7. निदेशक मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. प्रधानाचार्य/अधीक्षक, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस), पारडा चुण्डावत जिला झुंजरपुर।
9. गार्ड फाईल।


 अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)